प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

दाण्डिक अपील क्रमांक - 770 / 2005

एकल न्यायपीठ: माननीय श्री दिलीप राव साहेब देशमुख, न्यायाधीश

जुगम उर्फ जुगल राम एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश के लिए आज सूचीबद्ध

सही /-

दिलीप राव साहेब देशमुख

न्यायाधीश

उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़

दाण्डिक अपील क्रमांक - 770 / 2005

एकल न्यायपीठः मान्नीय श्री दिलीप राव साहेब देशमुख, न्यायाधीश

जुगम उर्फ जुगल राम एवं अन्य

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित -:

श्री अशोक सोनी, अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्ता ।

श्री सुमेश बजाज , राज्य हेतु शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

(दिनांक 20-03-2006 को पारित)

यह अपील निर्णय दिनांक 25.08.2005 के विरुद्ध निर्दिष्ट है, जिसे द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदा-बाजार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 95/2005 में पारित किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्तागण को भारतीय दंड संहिता की धारा- 306 सहपठित धारा- 34 के तहत दोषी ठहराया गया एवं उन्हें 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500 के जुर्माने से दण्डित किया गया है एवं जुर्माना अदा न करने पर 6 माह के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

2. यह विवादित तथ्य नहीं है कि अपीलार्थी क्रमांक-01 कि अपीलार्थी क्रमांक-03 श्रीमती राम बाई माँ एवं अपीलार्थी क्रमांक-02 श्रीमती हीरा बाई भाभी है।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि रामबती बाई अपीलार्थी क्रमांक-01 जुगम से प्यार करती थी। हालांकि, उसकी शादी परसदा गांव के भुवन से हुई थी, लेकिन शादी के दो दिन पश्चात ही उसने उसे

छोड़ दिया एवं अपने मायके लौट गई। कुछ समय पश्चात, वह अपीलार्थी क्रमांक -01 जुगम के साथ उसकी रखैल के रूप में रहने लगी एवं एक बेटी को जन्म दिया। चूँकि, अपीलार्थी जुगम ने रामबती से विवाह किए बिना उसे अपने पास रखा था, अपीलार्थी क्रमांक- 2 एवं 3 उसे परेशान करते थे और उसे घर छोड़ने के लिए उकसाते थे। दिनांक 31- 2- 2004 को आंगन में झाड़ू लगाने को लेकर रामबती एवं अपीलार्थी क्रमांक- 2 एवं 3 के मध्य झगड़ा हो गया। तंग आकर , रामबती अपनी 4 वर्ष की बेटी के साथ दावनबोड रेलवे फाटक के पास गई और चलती ट्रेन के आगे अपनी बेटी के साथ कूदकर आत्महत्या कर ली।

4. ट्रेन के चालक ने मामले की सूचना स्टेशन मास्टर को दी, जिन्होंने थाना प्रभारी, पुलिस थाना भाटापारा ग्रामीण को प्रतिवेदन प्रदर्श पी- 07 भेजा। शव परीक्षण प्रदर्श पी- 10 डॉक्टर एस.के. धगमवार (अ.सा.-09) के द्वारा किया गया था। मृतका के माता-पिता महेत्तर अ.सा. -01 एवं दुकलहिन बाई अ.सा- 02 का बयान द.प्र.सं. की धारा - 161 के तहत काफी विलंब के पश्चात दिनांक 31- 01-2005 को दर्ज किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थीगण को भा.द.सं. की धारा-306 सहपठित धारा-34 के तहत अभियोजित किया गया। अपीलार्थीगण ने अपराध से इन्कार किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया, किंतु बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम 11 गवाहों का परीक्षण कराया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलम्ब लेते हुए अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया एवं दण्डित किया, जैसा कि कंडिका -01 में वर्णित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक सोनी ने तर्क दिया है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को उसी अनुसार मान लिया जाये, तो भी अपीलार्थीगण की धारा-306 सहपठित धारा-34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि विधि के तहत कायम नहीं रह सकती। उन्होंने कंडिका-08 में मृतका की माता डुकालहिन अ.सा. क्रमांक -02 के बयान का उल्लेख किया कि मृतका ने अपनी मृत्यु से लगभग 4 माह पूर्व अपनी पीड़ा बताई थी एवं इससे पहले मृतका ने कभी भी अपनी पीड़ा के बारे में नहीं बताया था। यह भी कहा गया था कि मृतका एवं उसका पति खुशी-खुशी साथ रह रहे थे एवं अपनी आजीविका कमा रहे थे। यह तर्क दिया गया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शाए कि रामबती की मृत्यु से ठीक पहले अपीलार्थीगण ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। अंत में , यह तर्क दिया गया कि रामबती की मृत्यु रेलवे ट्रैक पार करते समय हुई एक आकस्मिक मृत्यु मात्र थी। ट्रेन का ड्राइवर, जो यह बताने के लिए सबसे अच्छा गवाह था कि रामबती और उसके बच्चे की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी या आत्महत्या से, अभियोजन पक्ष द्वारा उसका बयान नहीं लिया गया, जिसके लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था।

6. इसके विपरीत, शासकीय अधिवक्ता श्री सुमेश बजाज ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क देते हुए बलिराम वर्मा अ.सा.-03 दावानबोड ग्राम के पटेल, के बयान की कंडिका -03 का हवाला दिया, जहां उन्होंने कहा था की अपीलार्थी जुगम ने उन्हें बताया था की अपीलार्थी 02 एवं 03 से झगड़े के कारण, रामबती अपनी पुत्री के साथ रेलवे ट्रैक पर गई और आत्महत्या कर लिया। मेरा ध्यान मृतका की माता दुकालहिन (अ.सा. क्रमांक 02) के बयान के कंडिका- 04 की ओर गया कि रामबती उसे बताया करती थी

की अपीलार्थी जुगम के रिश्तेदार उसे घर से बाहर निकलने या फिर ट्रेन या मोटरकार के नीचे कूदकर आत्महत्या करने के लिए कहते थे। यह तर्क दिया गया कि जहां तक अपीलार्थी क्रमांक- 02 एवं 03 का संबंध है, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह संदेह से परे स्थापित हो गया कि उन्होंने रामबती को आत्महत्या के लिए उकसाया एवं दुष्प्रेरित किया।

7. प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के पश्चात, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया । प्रथम बिन्दु जिस पर विचार करना आवश्यक है वह यह है कि रामबती की मृत्यु आकस्मिक थी या आत्महत्या । यह सच है कि जिस ट्रेन के नीचे रामबती की मृत्यु हुई, उसका चालक ही घटना के प्रकार के बारे में बयान देने वाला सबसे अच्छा गवाह था। हालाँकि, भागीरथी साहू अ०सा०-6 के द्वारा तैयार किया गया नजरी नक़्शा प्रदर्श पी-6 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रामबती की मृत्यु रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय नहीं हुई थी, बल्कि उससे काफी दूरी पर हुई थी। इसके अतिरिक्त, बलिराम वर्मा अ०सा०-3 के बयान से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि घटना के तुरंत पश्चात अपीलार्थी जुगम उसके घर आया और उसे बताया कि अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 के साथ हुए झगड़े के पश्चात रामबती की ट्रेन के नीचे आकर मृत्यु हो गई। ये तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि रामबती की मृत्यु आकस्मिक नहीं थी, बल्कि आत्महत्या थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अब केवल एक ही बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थीगण ने रामबती को आत्महत्या के लिए उकसाया था। जहाँ तक अपीलार्थी क्र.-1 जुगम का संबंध है, अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि उन्होंने किसी भी तरह से रामबती को आत्महत्या के लिए उकसाया या दुष्प्रेरित किया। जहाँ तक अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 का संबंध है महेत्तर अ०सा०-1 एवं दुकालहिन अ०सा०-2 के बयान की जाँच की आवश्यकता है। उनके द्वारा कभी भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई कि अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 उनकी बेटी रामबती को परेशान कर रहे थे एवं उसे आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे। इतना ही नहीं, इन दो महत्वपूर्ण गवाहों के केस डायरी बयान एक महीने की समाप्ति के पश्चात दिनांक 31-01-2005 को दर्ज किए गए।

9. कंडिका- 12 में महेत्तर अ०सा०-1 ने स्वीकार किया है कि रामबती लगभग 5 वर्षों से अपीलार्थी क्र.-1 जुगम के साथ शांतिपूर्वक और स्नेहपूर्वक रह रही थी, हालाँकि दोनों पति-पत्नी के बीच कुछ झगड़े होते रहते थे। कंडिका-2 में उन्होंने कहा कि अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 रामबती के साथ क्रूरता से पेश आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिया।

10. दुकालहिन अ०सा०-2 ने कंडिका-2 में यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थी क्र.-1 का भाई और अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 घटना से दो साल पहले से अलग रह रहे थे। हालांकि, उसने कंडिका-8 में स्वीकार किया कि घटना की तारीख से 4 माह पूर्व रामबती ने उसे बताया था कि जुगम के रिश्तेदार उसे घर से बाहर निकलने या फिर ट्रेन या मोटरकार के नीचे जाने के लिए कहते थे, उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे रिश्तेदार कौन थे। दुकालहिन अ०सा०-2 का बयान, जिस पर विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने काफी हद तक भरोसा जताया था, स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाता है कि अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 ने रामबती को ट्रेन या मोटरकार के नीचे आने के लिए कहा था। चूंकि अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 घटना की तारीख से दो वर्ष पूर्व अपीलार्थी क्र. 1 से अलग रह रहे थे, इसलिए यह अत्यधिक असंभव लगता है कि घटना की

तारीख पर उन्होंने रामबती को ट्रेन के नीचे आने और मरने के लिए उकसाया होगा। सोहन लाल वर्मा अ°सा°-4 ने कंडिका-12 में यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना की तारीख से एक वर्ष पूर्व से रामबती अपीलार्थी क्र.- 1 के साथ शांतिपूर्वक रह रही थी एवं सभी अपीलार्थी अपने परिवारों के साथ अलग-अलग रह रहे थे। कंडिका- 13 में भी उन्होंने कहा है कि घटना से एक साल पहले हुई ग्राम सभा में उन्होंने केवल कुछ झगड़े के बारे में सुना था। उसके बाद, घटना की तारीख तक उन्होंने ऐसी किसी बात के बारे में नहीं सुना।

11. दुष्प्रेरण को भा°द°स° की धारा-107 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

धारा-107- किसी बात का दुष्प्रेरण -

“वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है जो -

पहला- उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा,

दूसरा- उस बात को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाये; अथवा,

तीसरा- उस बात के लिए किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।”

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. भारतीय दंड संहिता की धारा-109 इस प्रकार है:-

13. "जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

स्पष्टीकरण: कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप तब किया गया कहा जाता है, जब वह उकसाहट के परिणामस्वरूप, या उस षडयंत्र के अनुसरण में, या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा-306 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या के लिए उकसाया है। जब तक कि अभियुक्त का कथित कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा-107 में वर्णित तीन प्रकार के कृत्यों में से किसी के अंतर्गत न आता हो, उसे उकसाने के रूप में नहीं माना जाएगा।

13. यह स्थापित विधि है कि भारतीय दंड संहिता की धारा-306 सहपठित धारा-34 के तहत दोषसिद्धि बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थीगण द्वारा

उकसावा, यदि कोई हो, आत्महत्या के कृत्य से इस प्रकार निर्देशित, सहसंबद्ध और निकट था कि यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतका ने केवल ऐसे उकसावे के कारण ही आत्महत्या की। मृतका के प्रति परिवार के सदस्यों द्वारा मात्र उत्पीड़न या अभद्र व्यवहार जिसके कारण मृतका ने अचानक अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया, भारतीय दंड संहिता की धारा-306 के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। केवल यह तथ्य कि मृतका और अपीलार्थी क्र.-1 के बीच कुछ झगड़ा हुआ करता था और अपीलार्थी क्र.- 2 एवं 3 मृतका से झगड़ा करते समय उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहते थे, भारतीय दंड संहिता की धारा-107 के तहत सूचीबद्ध 3 श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है एवं इसे दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा।

14. मृतका अपने बच्चे के साथ अपीलार्थी क्र.-1 के घर में शांतिपूर्वक रह रही थी, अपीलार्थी क्र.-2 अपने पति के साथ अलग रह रही थी, जो अपीलार्थी क्र.-1 का भाई था। अपीलार्थी क्र.-3 भी अपने पति के साथ अलग रह रही थी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह भी नहीं दर्शाते कि घटना से ठीक पहले अपीलार्थी क्र.-2 एवं 3 ने मृतका के साथ ऐसी कोई क्रूरता की थी, जो उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के समान हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृतका रामबती और उसके नाबालिग बच्चे ने अत्यंत दुखद तरीके से अपना जीवन समाप्त कर लिया, फिर भी मृतका द्वारा आत्महत्या करने के लिए अपीलार्थीगण द्वारा उकसावे या दुष्प्रेरण को साबित करने के लिए किसी भी विधिक या निश्चयात्मक साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थीगण के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-306 सहपठित धारा-34 के तहत आरोप स्थापित नहीं किया जा सका।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने के पश्चात्, मेरा यह अभिमत है कि अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि तथा उसके अंतर्गत अधिरोपित दंड अपास्त किए जाने योग्य है।

16. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत अधिरोपित दंड अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को बरी किया जाता है एवं यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए। यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो उसे अपीलार्थीगण को वापस कर दिया जाए।

सही /-

दिलीप राव साहेब देशमुख

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur